न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2019

बउनवान

भानुप्रकाश आयु 34 वर्ष पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बांरा, राज०

(निगराकार)

बनाम

1. चन्दालाल उम्रग 50 वर्ष पुत्र किश्नलाल जाति धाकड निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा, राज०
2. बाबूलाल उम 58 वर्ष पुत्र किश्नलाल जाति धाकड निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बांरा, राज०
3. अनिलकुमार शमा उम्र 50 वर्ष पुत्र इन्द्रनारायण जाति ब्राहमण निवासी जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बांरा, राज०
4. ग्राम पंचायत जलवाडा तह० किशनगंज जरिये सरपच, ग्राम पंचायत जलवाडा तहसील किशनगंज जिला बांरा राज०

(गैरनिगराकारान)

निगरानी बाबत निरस्त करवाने पट्टा नं0 14 तारीख दायरा 12.07.1982 संकल्प नं0 4 जो 22.08.1984 को ग्राम पंचायत जलवाडा ने मिसल नं0 103 से जारी किया

अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :— 1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(निगराकार)**

2. श्री बालमुकन्द गुर्जर, अभिभाषक **(गैरनिगराकारान कम 1 व 3)**

निर्णय दिनांक 13.12.2024

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम जलवाडा का निवासी है। यहां उसके खाते मे खसरा नं0 884 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि चाही प्रथम स्थित है। प्रार्थी ने इस निगरानी के साथ पटवारी द्वारा जारी किया गया नक्शा ट्रेस भी पेश किया है जिसमे खसरा नं0 884 के दक्षिण तरफ खसरा नं0 882 रकबा 3बीघा 11 बिस्वा गैरमुमकिन सडक स्थित है, जो राजस्व कागजात में पी.डब्ल्यू.डी. सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते दर्ज है तथा इसी के पास खसरा नं0 883 रकबा 0.02 हैक्टर स्थित भूमि गैरमुमकिन बावडी स्थित है, जो राजस्व कागजात मे युदराजसिंह वल्द रतनसिंह, प्रेमकुंवर बेवा रतनसिंह, स्वरूपकुंवर बाई लक्ष्मीकुंवर बाई, प्रकाश कुंवर बाई चंचलकुमारी, मनोरमा पुत्रीयां रतनसिंह जाति राजपूत हाल मुकाम खरखडा आसन तहसील अटरू के नाम खाते मे दर्ज है। खसरा नं0 882 पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के नाम है जो स्टेट हाईवे है। दिनांक 23.01.1983 को पटवारी हल्का जलवाडा द्वारा उपरवर्णित खसरा नम्बरान का मोका देखा गया एंव रिपोर्ट तैयार की गयी। उसके अन्दर भी खसरा नं० 882 गैरमुमकिन सडक, खसरा नं0 884, 885 खातेदारी की भूमि दिखाई गयी है तथा इस रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि उपरोक्त भूमियां खातेदारान की खाते की है एंव खसरा नं0 882 मे 20X25 वर्ग फीट के कुछ प्लाटो पर कुछ लोगो ने कब्जा करके पत्थर डाल रखे है। निगराकार ने अपनी भूमि खसरा नं0 884 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि के बाबत चन्दालाल पुत्र किशनलाल धाकड निवासी ख्यावदा के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 91, 92 (ए), 188 209 आर.टी.ए. न्यायालय [illegible] किशनगंज में पेश किया। इसके साथ एक प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का भी पेश किया [illegible] यह मांग की गयी थी कि उसकी भूमि खसरा नं0 884 ग्राम जलवाडा रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा [illegible] भूमि से लगती दक्षिण दिशा में लगवा सडक की भूमि खसरा नं0 882 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा [illegible] आर्थी कम 1 चन्द[illegible] कोई निर्माण कार्य नही करे तथा प्रार्थी को उसकी भूमि पर [illegible] कर आने जाने के लि[illegible] की भूमि के सामने कोई दखलन्दाजी नहीं करे तथा उसकी भूमि के [illegible] दक्षिण दिशा में स्थित सम्पूर्ण सडक की प्रत्येक इंच भूमि का उपयोग व उपभोग करने देवे। इसका जवाब दिनांक 29.05.2019 को चन्दालाल ने पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

किया जिसमे उसने यह बताया कि उसको प्रार्थी के खेत के सहारे 20X25 वर्ग फीट का एक पट्टा उसके पिता किशनलाल पुत्र बंजरगलाल धाकड निवासी जलवाडा को ग्राम पंचायत जलवाडा द्वारा मि० नं० 103 से पट्टा सं० 14 जारी किया था जो 22.08.1984 को जारी किया। इस कारण वह इस भूखण्ड पर काबिज है। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा हम अप्रार्थी कम 1 व 2 उसके पुत्र है तथा इस कारण हमने अपने पिता के नाम जो पट्टा है. उसमे से 1/2, 1/2 हिस्सा कर लिया है तथा हमारे कच्चे निर्माण को तोडकर पक्का निर्माण करवा रहे है तथा अप्रार्थी कम 2 ने उसका 1/2 हिस्सा अप्रार्थी कम 3 अनिल शर्मा को बेचान कर दिया है। इस कारण उसका बाबूलाल के हिस्से पर कब्जा है। इस कारण 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। उपजिला कलेक्टर किशनगंज ने दिनांक 06.05.2019 को उपरोक्त प्रकरण मे स्थगन जारी कर दिया कि खसरा नं. 884 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा एंव इस भूमि लगवा सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि खसरा नं0 882 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा जो सडक की भूमि है, पर अप्रार्थीगण कोई निर्माण कार्य न ही करे और मोके की यथास्थिति बनाये रखे। इस पर प्रार्थी ने कार्यालय ग्राम पंचायत जलवाडा मे एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी को यह बताया जाये कि खसरा नं0 882 व 884 के मध्य कोई आबादी भूमि है जिनके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है तो दिनांक 31.05.2019 को कार्यालय ग्राम पंचायत जलवाडा द्वारा पत्र कमांक 123 से यह प्रमाण पत्र जारी किया गया कि जलवाडा बस स्टेण्ड के समीप जलवाडा से नाहरगढ की सडक पर बावडी से आगे पूर्व दिशा की ओर खसरा नं० 884 भानुप्रकाश की है व वहां पर कोई ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है तथा उन्होने यह भी प्रमाण पत्र दिया है कि पटवारी हल्का जलवाडा की जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नं० 882 सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते दर्ज है एंव उक्त भूमि का कोई भू भाग का पट्टा पंचायत जलवाडा द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा ऐसे कथित पट्टो का ग्राम पंचायत जलवाडा में कोई इन्द्राज नही है और ना ही कोई रिकार्ड उपलब्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया कि विवादित स्थान पर अप्रार्थीगण के नाम कोई पट्टा नही है जो पट्टा मि० नं० 103 ग्राम पंचायत जलवाडा पट्टा नं० 14 से बताया जा रहा है, वह पट्टा फर्जी है तथा यह पट्टा जो 1500/– रू० जमा करके जारी करना बताया है, जो भी फर्जी है तथा पट्टा रजिस्टर्ड नही है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत जलवाडा तहसील किशनगंज द्वारा जारी किया जाना बताया रहा है, जो मिसल नं0 103 पट्टा नं० 14 तारीख दायरा 12.07.1982, जो किशनलाल पुत्र बंजरगलाल धाकड नि० ख्यावदा के नाम जो बावडी मोटरस्टेण्ड से पूरब की तरफ का बताया जा रहा है, निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तथा अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत जलवाड़ा का रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकारान कम 1 व 3, तथा गैर निगराकार कम 4 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए तथा गैर निगराकार कम 1 व 3 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ तथा स्वेच्छा से वे स्वंय व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। गैर निगराकार कम 4 की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर, किशनगंज में विचाराधीन दावा व प्रार्थना पत्र 2012 आर टी एक्ट में स्वंय किशनलाल पुत्र बजरंगलाल धाकड़ के पुत्रों द्वारा अनिल शर्मा को कुछ भूमि बेचान करना बताया है, जबकि वहां पर किशनलाल या उनके लड़कों की कोई भूमि है ही नही तथा इस बाबत न्यायालय उप जिला कलेक्टर, किशनगंज ने भी गैर निगराकारान कम 1 ता 3 के खिलाफ स्थगन जारी किया हुआ है। क्योंकि वहां भी ग्राम पंचायत द्वारा यही जवाब पेश किया गया है कि यहां कोई आबादी की कोई भूमि नहीं है। पट्टा फर्जी व अनरजिस्टर्ड है। पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है इसलिये पट्टा पर कानूनी [illegible] स्वीकार किये जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

रेकार्ड के संबंध में ग्राम विकास अधि[illegible] ग्राम पंचायत जलवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 22.11.2024 से अवगत कराया गया कि [illegible] दस्तावेज (पट्टा/मिसल) ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड में तलाश किया गया [illegible] वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त नही होने पर हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकारान ने फर्जी एवं कूटरचित पट्टे के आधार पर सरकारी भूमि पर जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है तथा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है, पर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। निगराकार द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत जलवाडा मे एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी को यह बताया जाये कि खसरा नं0 882 व 884 के मध्य कोई आबादी भूमि है जिनके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है तो दिनांक 31.05.2019 को कार्यालय ग्राम पंचायत जलवाडा द्वारा पत्र कमांक 123 से यह प्रमाण पत्र जारी किया गया कि जलवाडा बस स्टेण्ड के समीप जलवाडा से नाहरगढ की सडक पर बावडी से आगे पूर्व दिशा की ओर खसरा नं० 884 भानुप्रकाश की है व वहां पर कोई ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नही है तथा उन्होने यह भी प्रमाण पत्र दिया है कि पटवारी हल्का जलवाडा की जमाबन्दी की नकल व नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नं० 882 सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते दर्ज है एंव उक्त भूमि का कोई भू भाग का पट्टा ग्राम पंचायत जलवाडा द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा ऐसे कथित पट्टो का ग्राम पंचायत जलवाडा में कोई इन्द्राज नही है और ना ही कोई रिकार्ड उपलब्ध है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जलवाड़ा द्वारा स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर पत्र दिनांक 22.11.2024 से अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेज (पट्टा/मिसल) ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड में तलाश किया गया लेकिन उक्त वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत जलवाडा तहसील किशनगंज द्वारा जारी किया जाना बताया रहा है, जो मिसल नं0 103 पट्टा नं० 14 तारीख दायरा 12.07.1982, जो किशनलाल पुत्र बंजरगलाल धाकड नि० ख्यावदा के नाम जो बावडी मोटरस्टेण्ड से पूरब की तरफ का बताया जा रहा है, निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार कम 4 ने जवाब निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टा फर्जी व अनरजिस्टर्ड है। पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है इसलिये पट्टा गैर कानूनी है। निगरानी स्वीकार किये जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचारण किया गया। न्यायहित में निगरानी पेश करने में हुई देरी क्षम्य की जाकर निगरानी विचारार्थ ग्राह्य की जाती है।

पत्रावली में संलग्न पैमाईश रिपोर्ट पटवारी हल्का जलवाड़ा दिनांक 27.01.03 में स्पष्ट अंकित है कि सरपंच ग्राम पंचायत, जलवाड़ा ने 20X25 वर्ग फीट माप के 6 प्लॉट जर्ये नीलामी खसरा नंबर 882 जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है, में बेचान किये। उक्त प्लॉटों की भूमि आबादी भूमि नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने भी प्रकरण में गैर निगराकारान 1 ता 3 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है। साथ ही हम अभिभाषक गैर निगराकार कम 4 के इस कथन से भी सहमत हैं कि उक्त पट्टा फर्जी एवं कूटरचित होने से ही उक्त पट्टे का रेकार्ड ग्राम पंचायत जलवाड़ा में उपलब्ध नही है। परिणामस्वरूप हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है, ग्राम पंचायत जलवाड़ा द्वारा **श्री किशनलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति धाकड़ निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज** के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 14 मिसल नंबर 103 तारीख दायरा 12.7.82 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 11:04:11 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)